



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274853
CG-DL-E-27072026-274853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 602]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 664(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments-morth@gov.in, पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा-उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 115 में उप-नियम (7) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(7) प्रत्येक वाहन में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया वैध “प्रदूषण नियंत्रण” प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। नियम 116 के उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। जारी या नवीनीकृत किया गया ऐसा प्रमाण पत्र निम्नलिखित अवधि के लिए वैध होगा:-

क्रम संख्या	वाहन श्रेणी	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता
(1)	(2)	(3)
1.	बीएस-I, बीएस-II और बीएस-III उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी मोटर वाहन	3 माह
2.	बीएस-IV उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी मोटर वाहन	6 माह
3	बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी गैर-परिवहन मोटर वाहन	प्रथम पंजीकरण की तिथि से: (क) 6 वर्ष तक – 3 वर्ष; (ख) 6 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से अधिक नहीं – 1 वर्ष; और (ग) 10 वर्ष से अधिक – 6 माह।
4	बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी परिवहन मोटर वाहन	प्रथम पंजीकरण की तिथि से: (क) 6 वर्ष तक – 2 वर्ष; (ख) 6 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से अधिक नहीं – 1 वर्ष; और (ग) 10 वर्ष से अधिक – 6 माह।

वशर्ते कि, केंद्रीय मोटर यान (_____ संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रारंभ होने से पूर्व जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के मामले में, इस उप-नियम के तहत विनिर्दिष्ट वैधता अवधि प्रारंभ होने के पश्चात् ऐसे प्रमाण पत्र के पहले नवीनीकरण पर ही लागू होगी:

इसके अतिरिक्त, यदि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का अनुरोध किया जाता है तो:

क. इसकी समाप्ति तिथि से दस दिन पूर्व नवीनीकृत प्रमाणपत्र इसकी समाप्ति तिथि से प्रभावी हो जाएगा, और

ख. अन्य सभी मामलों में, समाप्ति तिथि के बाद नवीनीकृत प्रमाण पत्र नवीनीकरण की तिथि से प्रभावी होगा।

[फा. सं. आरटी-11036/94/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांकित द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

G.S.R. 664(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in Rule 115, for sub-rule (7) and its proviso, the following shall be substituted, namely:

“(7) Every vehicle shall carry a valid “Pollution Under Control” certificate issued by an agency authorised for this purpose by the State Government. Such certificate shall be produced on demand by the officers referred to in sub-rule (1) of Rule 116. Such Certificate when granted or renewed shall be valid for the period as indicated below:-

Sl. No.	Vehicle Category	Validity of Pollution Under Control Certificate
(1)	(2)	(3)
1.	All motor vehicles complying with BS-I, BS-II and BS-III emission norms	3 months
2.	All motor vehicles complying with BS-IV emission norms	6 months
3	All Non-Transport motor vehicles complying with BS-VI emission norms	From the date of first registration: (a) Up to 6 years – 3 years; (b) More than 6 years but not more than 10 years – 1 year; and (c) More than 10 years – 6 months.
4	All Transport motor vehicles complying with BS-VI emission norms	From the date of first registration: (a) Up to 6 years – 2 years; (b) More than 6 years but not more than 10 years – 1 year; and (c) More than 10 years – 6 months.

Provided that, in the case of a Pollution Under Control Certificate issued before the commencement of the Central Motor Vehicles (____ Amendment) Rules, 2026, the validity period specified under this sub-rule shall apply only upon the first renewal of such certificate after such commencement:

Provided further that, in case where the renewal of Pollution Under Control Certificate is sought:

a. within ten days preceding the date of its expiry, the renewed certificate shall take effect from the date of its expiry, and

b. in all other cases after the date of expiry, the renewed certificate shall take effect from the date of such renewal.”

[F. No. RT-11036/94/2020-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R.(E) dated the